

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरु

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. गौरव सैनी, आई.ए.एस.

मुकदमा संख्या:- प्रार्थना पत्र संख्या 62/2019

निर्णय दिनांक :- 4-12-2019

विजयपाल पुत्र हेमाराम जाति जाट निवासी ग्राम बनाई तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर

... प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रतनगढ जिला चूरु

...अप्रार्थी

उपस्थित:-

1. श्री करणीसिंह अभिभाषक प्रार्थी
2. पैरोकार राज

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के राजस्व रेकार्ड में अकिंत नाम का शुद्धीकरण करवाने हेतु दिनांक 19.9.2019 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 115 खेत ख.नं. 340 तादादी 7.4867 हैक्टेयर व ख.नं. 455/363 तादादी 5.6277 हैक्टेयर कुल तादादी 13.1144 हैक्टेयर रोही ग्राम रतनादेसर तहसील रतनगढ में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का 8/49 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। यह भूमि प्रार्थी के नाम पिता की मृत्यु के बाद विरासतन इन्तकाल संख्या 142 दिनांक 8.11.1994 से दर्ज हुई है। लिपकीय भूलवश विरासतन नामान्तरकरण दर्ज करते समय प्रार्थी नाम विजयपाल के स्थान पर बिरजूसिंह अकिंत कर दिया। प्रार्थी के राशनकार्ड, चुनाव मतदाता सूची, आधार कार्ड, आदि में विजयपाल पुत्र हेमाराम



Saini
उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरु)

अकिंत है, जो सही है। प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेखों में बिरजूसिंह चले आने के कारण भूमि सुधार व के.सी.सी. बनवाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भूमि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी पैतृक भूमि है। तहसीलदार रतनगढ को संशोधन हेतु निवेदन करने पर संशोधन से ईन्कार कर दिया।

2. अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की खाता संख्या 115 खेत ख.नं. 340 तादादी 7.4867 हैक्टेयर व ख.नं. 455/363 तादादी 5.6277 हैक्टेयर कुल तादादी 13.1144 हैक्टेयर रोही ग्राम रतनादेसर में स्थित है और प्रार्थी का 8/49 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम बिरजूसिंह के स्थान पर सही नाम विजयपाल संशोधन व शुद्ध किए जाने का आदेश फरमाया जावे।
3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया तथा तहसीलदार रतनगढ से अभिलेख के सम्बन्ध में रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार, रतनगढ की रिपोर्ट क्रमांक 778 दिनांक 6.11.2019 के द्वारा न्यायालय में प्राप्त हुई।
4. तहसीलदार, रतनगढ की रिपोर्ट के अनुसार खेत खाता संख्या 115 खेत ख.नं. 340 तादादी 7.4867 हैक्टेयर व ख.नं. 455/363 तादादी 5.6277 हैक्टेयर कुल तादादी 13.1144 हैक्टेयर रोही ग्राम रतनादेसर के सम्बन्ध में जांच करने पर पाया गया कि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम बिरजूसिंह पुत्र हेमाराम अकिंत है, जो कि पूर्व में इन्तकाल सं. 142 विरासतन दर्ज करते समय अकिंत हो गया। प्रार्थी का सही नाम विजयपाल पुत्र हेमाराम है, जो शुद्ध किया जाना उचित है।
5. बहस अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार राज सुनी गई। प्रार्थना पत्र, एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रेकार्ड मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, एवं तहसीलदार रतनगढ की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट आदि का भलीभातिं अवलोकन किया गया। खाता संख्या 115 खेत ख.नं. 340 तादादी 7.4867 हैक्टेयर व ख.नं. 455/363 तादादी 5.6277 हैक्टेयर कुल तादादी 13.1144 हैक्टेयर रोही ग्राम रतनादेसर तहसील रतनगढ के राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का नाम बिरजूसिंह पुत्र हेमाराम अकिंत है जबकि अन्य दस्तावेजात में




Jain
उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ (घूस)

प्रार्थी का नाम विजयपाल पुत्र हेमाराम अकिंत है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, एवं तहसीलदार रतनगढ की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का राजस्व रेकार्ड में शुद्ध नाम अकिंत किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, रतनगढ को आदेश दिया जाता है कि संयुक्त खातेदारी के खाता संख्या 115 खेत ख.नं. 340 तादादी 7.4867 हैक्टेयर व ख.नं. 455/363 तादादी 5.6277 हैक्टेयर कुल तादादी 13.1144 हैक्टेयर रोही ग्राम रतनादेसर तहसील रतनगढ के राजस्व रेकार्ड में शुद्धि की जाकर प्रार्थी का नाम "बिरजूसिंह पुत्र हेमाराम" के स्थान पर "विजयपाल पुत्र हेमाराम" अकिंत किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार, रतनगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 4-12-2019 को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ. गौरव सैनी)
उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ (बुरू)

